6

F.No. 55017(4)/2015-PI-IV
Government of India
Ministry of Chemicals & Fertilizers
(Department of Pharmaceuticals)

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated the 17th March, 2015

KENDRIYA VIDALAYA SANGATHAN
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
1819
प्राप्ति संख्या
दिनांक 31/03/15
DEHRADUN REGION

To

Shri Praveen Kumar
C.M.D.
Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd.
Scope Complex, Core – 6,1sFloor, 7 Lodhi Road,
New Delhi-110003

Sub:- No Objection Certificate for Kendriya Vidyalaya Sangathan through Govt. of Uttarakhand.

Sir,

I am directed to refer to the letter of Additional Chief Secretary, Government of Uttrakhand No. 363/XXIV-3/2015-02(24)/2014 dated nil regarding issuance of 'No Objection Certificate' for allotment of IDPL land of Rishikesh Plant in IDPL for Kendriya Vidhyalaya Sangathan.

2. On the basis of No Objection issued by IDPL vide its letter No. 11009(15)/2015-IDPL/1646 dated 4th March, 2015, the Department has decided to issue 'No Objection Certificate' in this matter.

Yours faithfully,

(Shah Faiz Ahmed)
Section Officer
Telefax No. 23389693

Copy to:-

1. The Additional Chief Secretary
   Government of Uttrakhand,
   Uttrakhand
   Dehradun (w.r.t. their letter No. 363/XXIV-3/2015-02(24)/2014 dated nil)
2. Shri Piya Thakur
   Deputy Commissioner,
   Kendriya Vidyalaya Sangathan,
   Dehradun
   Uttrakhand-245001 (w.r.t. their letter No. F.21-17/L&B/11-KVS/DDR/2106/ dt. 23.2.15)
3. PPS to Hon'ble Union Minister,
   Ministry of Human Resource & Development
   Shastri Bhawan, New Delhi (w.r.t. their D.O. letter No. 1-28/2003-KVS(Admn.I)

30/3/15
SO (Adm)

सुधा गुप्ता
प्राचार्य / प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय)
Autonomous Body under Ministry of Human Resource Development
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून संभाग
REGIONAL OFFICE, DEHRADUN REGION
सालावाला, हाथीबड़कला, देहरादून (उत्तराखण्ड)
Salawala, Hathibarkala, Dehradun (UK)
दूरभाष: 0135-2749510 (DC)/2743192 (AC)/2746371 (AO)/फैक्स-2749824
वेबसाइट–www.kvsrodehradun.org ई–मेल –ackvsroddr@yahoo.co.in

7

पत्रॉक. F. 21-17/2017-KVS (DDR)/Admn./ 6775 Date: 19.07.2017

त्वरित सेवा

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
ऋषिकेश

विषय :- केंद्रीय विद्यालय, ऋषिकेश हेतु भूमि हस्तांतरण के सम्बन्ध में ।

महोदया,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास, भारत सरकार का पत्र दिनांक १४.०७.२०१७ जो कि माननीय, मुख्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार को भेजा गया है जिसकी छाया प्रति सलग्न की जा रही है, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि केंद्रीय विद्यालय, आई0डी0पी0एल0,ऋषिकेश वर्ष १९७७-७८ में खोला गया था तथा आई0डी0पी0एल0 की प्रार्थना पर वर्ष २००१ में बंद कर दिया गया था । बाद में यह विद्यालय वर्ष २००३-०४ में सिविल सेक्टर के अंतर्गत राज्य सरकार के प्रयोजन पर पुनः खोला गया है । नियमानुसार विद्यालय भवन हेतु राज्य सरकार द्वारा निशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जानी है ।

रसायन एवं उर्बरक मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया है कि उन्हें वर्तमान में चल रहे के. वि. ऋषिकेश के लिए आई0डी0पी0एल0 की भूमि के.वि.सं. को देने में कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन उक्त भूमि वन भूमि है जो कि आई0डी0पी0एल0 के नाम लीज पर है । यह मामला वन विभाग के विचाराधीन है । वन भूमि का गैर वनिक कार्यों के लिए प्रयोग केवल वन भूमि की क्षति पूर्ति करने पर ही किया जा सकता है । राज्य सरकार द्वारा वन भूमि को गैर वनिक कार्यों हेतु वन विभाग से परिवर्तित करवाया जाना बाकी है । उक्त भूमि को गैर वनिक कार्यों के प्रयोग हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने के साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि वन विभाग को क्षति पूर्ति के.वि.सं. द्वारा प्रदान करना नियमानुकूल नहीं होगा । राज्य सरकार द्वारा आई0डी0पी0एल0 के माध्यम से उक्त भूमि को के.वि.सं. के पक्ष में अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया है । राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त भूमि के.वि.सं. को हस्तांतरित करने पर ही के.वि.सं. द्वारा भवन निर्माण की कार्यवाही की जा सकती है ।

प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि आई0डी0पी0एल0 अथॉरिटी से संपर्क कर भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रक्रिया को यथा शीघ्र पूर्ण करवाएं ।

L&B file
25/7/17

भवदीय

(सोमित श्रीवास्तव)
उपायुक्त

सुधा गुप्ता
प्राचार्य / प्राचार्य

अ.शा.पत्र सं. 110111/85/2003/के.वि.सं./मु./कार्य/

16

प्रकाश जावडेकर
Prakash Javadekar

मंत्री
मानव संसाधन विकास
भारत सरकार
MINISTER
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

पत्र जारी किया गया
LETTER ISSUED

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDALAYA SANGATHAN
प्राप्ति संख्या 1651
दिनांक 18/7/17
DEHRADUN REGION
देहरादून संभाग

प्रिय श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी,

03 JUL 2017 / 14.07.2017

यह केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) हेतु भूमि हस्तांतरण के संबंध में है। पूर्व में यह विद्यालय आई.डी.पी.एल. के प्रायोजन पर वर्ष 1977-78 में खोला गया था तथा आइ.डी.पी.एल. की प्रार्थना पर वर्ष 2001 में बन्द कर दिया गया। बाद में यह विद्यालय वर्ष 2003-04 में सिविल सेक्टर के अंतर्गत राज्य सरकार के प्रायोजन पर पुनः खोला गया है। नियमानुसार विद्यालय भवन हेतु राज्य सरकार द्वारा निशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जानी है।

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया है कि उन्हें वर्तमान में चल रहे के.वि. ऋषिकेश के लिए आई.डी.पी.एल. की भूमि के.वि.सं. को देने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उक्त भूमि वन भूमि है जोकि आई.डी.पी.एल. के नाम लीज पर है। यह मामला वन विभाग में विचाराधीन है। वन भूमि का गैर वनिक कार्यों के लिए प्रयोग केवल वन विभाग को क्षति पूर्ति करने पर ही किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा वन भूमि को गैर वनिक कार्यों हेतु वन विभाग से परिवर्तित करवाया जाना बाकी है। राज्य सरकार द्वारा आई.डी.पी.एल. ऋषिकेश के माध्यम से उक्त भूमि को के.वि.सं. के पक्ष में अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त भूमि के.वि.सं. को हस्तांतरित करने पर के.वि.सं. द्वारा भवन निर्माण की कार्रवाई की जा सकती है।

प्रति प्राचार्य को उचित कार्य

अतएव आपसे अनुरोध है कि आप उक्त भूमि के गैर वनिक कार्य के प्रयोग हेतु आवश्यक निर्देश जारी करवाने का कष्ट करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि वन विभाग को क्षति पूर्ति के.वि.सं. द्वारा प्रदान करना नियमानुकूल नहीं होगा, अतः राज्य सरकार का सहयोग आवश्यक है।

सादर,

18/7/17

आपका,

(प्रकाश जावडेकर)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
मुंख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार,
सचिवालय,
देहरादून-248001,
उत्तराखण्ड।

सुधा गुप्ता
प्राचार्य / प्राचार्य
के० वि०. वीरभद्र, ऋषिकेश

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, देहरादून (उत्तराखण्ड) – कृपया आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. उप-जिलाधिकारी, जिला ऋषिकेश, ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) – कृपया आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) - आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्राचार्य Principal
के.वि. ऋषिकेश K.V Rishikesh

13/7/17
अधीक्षण अभियंता

प्राचार्य / प्राचार्य
के० वि०. वीरभद्र, ऋषिकेश